



Neutral Citation No.- 2026:AHC:16010

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-5167 वर्ष 2025

विनीत @ विनेश

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अभिषेक मयंक

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अभिषेक मयंक के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
3. आवेदक ने 2021 के मुकदमा अपराध संख्या-77 में धारा 302, 452 भ०द०वि०, थाना-शिकारपुर, जिला: बुलंदशहर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक की ओर से यह दूसरी ज़मानत याचिका है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 2021 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38410 में पारित दिनांक 18.11.2021 के आदेश के माध्यम से पहली ज़मानत याचिका को खारिज कर दिया था।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक 9.3.2021 से जेल में बंद है, इस तरह, वह लगभग पांच साल से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमे के समापन की कोई संभावना नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया है।

7. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी।

दिनांक 5.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, मामला अंतिम बहस के लिए तय किया गया है और यहां तक कि पक्षों को आंशिक रूप से सुना गया है और उनकी दलीलें प्रगति पर हैं।

8. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य आईएनएससी 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी ठहराया जा सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

9. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है, मुझे आवेदक को जमानत देने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं लगता। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

10. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017)5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है; अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, तेजी से तय किया जाए ।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 21, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विकास वर्मा

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!